

ADMS
03 MAR 2016
30/8

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
- :: आदेश :: -

1233
4-316
दिनांक
भोपाल, दिनांक /02/2016

क्रमांक / /5420/2015/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 04 में विभाग के आदेश द्वारा नियुक्ति उपरांत कॉलम नं. 05 में अंकित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में 01 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन में "ग" श्रेणी होने के कारण निम्नलिखित चिकित्सकों की परिवीक्षा अवधि में 01 वर्ष वृद्धि की जाती है।

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	परिवीक्षा अवधि समाप्त होने का दिनांक
01	02	03	04	05	06
1.	डॉ. रामप्रताप सिंह चौहान	जिला चिकित्सालय सागर	एफ 2-02/01/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011	18.01.2012	17.01.2014
2.	डॉ. अनिल शर्मा	प्रा.स्वा.के. कतरोल जिला भिण्ड	एफ 2-02/11/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011	27.04.2011	26.04.2013
3.	डॉ. तन्मय शर्मा	प्रा.स्वा.के. कतरोल जिला भिण्ड	एफ 2-02/11/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011	21.04.2011	20.04.2013
4.	डॉ. राकेश कुमार सागरिया	जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर	एफ 2-02/11/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011	18.05.2011	17.05.2013
5.	डॉ. समीर सिंघई	प्रा.स्वा.के. बाकल जिला कटनी	एफ 2-17/12/17/मेडि-1, दिनांक 17.05.2012	17.05.2012	16.05.2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डॉ० गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 03/03/2016

पृ० क्रमांक / 553 / 5420/2015/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा. एवं परि. क. विभाग।
 - निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परि. क. विभाग।
 - महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 - सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर, म०प्र०।
 - आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 - संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
 - संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म०प्र०।
 - संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म०प्र०।
 - संबंधित चिकित्सक
 - स्टॉक फाईल/विभागीय जांच पटल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

03/03/16

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8208

-- :: आदेश :: --

दिनांक 8/10/15

भोपाल, दिनांक /09/2015

क्रमांक / /3837/2015/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 04 में विभाग के आदेश द्वारा नियुक्ति उपरांत कॉलम नं. 05 में अंकित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में 01 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन में "ग" श्रेणी होने के कारण निम्नलिखित चिकित्सकों की परिवीक्षा अवधि में 01 वर्ष वृद्धि की जाती है।

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	परिवीक्षा समाप्त होने का दिनांक	अवधि 01 वर्ष बढ़ाने के पश्चात् परिवीक्षा पूर्ण होने का दिनांक
01	02	03	04	05	06	07
1.	डॉ. सुशील शर्मा	प्राथ. स्वा. के. तेलीगाँव, गुना	एफ 2-02/11/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011	28.04.2011	27.04.2013	26.04.2014
2.	डॉ. पूजा शर्मा	सिविल अस्पताल शुजालपुर, शाजापुर	एफ 2-02/11/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011/12.05.2011	10.05.2011	09.05.2013	08.05.2014
3.	डॉ. राजकुमार वर्मा	जिला चिकित्सालय विदिशा	एफ 2-02/11/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011	12.07.2011	11.07.2013	10.07.2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ० गनी अहमद खॉन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 7/09/2015

पृ० क्रमांक / 6045/3837/2015/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वा. एवं परि. क. विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परि. क. विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर, म०प्र०।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
8. संबंधित सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म०प्र०।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म०प्र०।
10. संबंधित चिकित्सक
11. स्टॉक फाईल/विभागीय जांच पटल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 6/11/15

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग